

Immediate/RTI Matter


R. 4912/JS(F)/13  
15/7

Ministry of Home Affairs  
Department of Border Management  
\*\*\*\*

Sub: Application of Chaudhry Rohan Singh under RTI Act, 2005-reg.

Please find enclosed herewith a copy of RTI application dated 31.05.2013 received in this division on 19.06.2013 from K-II Desk, MHA.

2. As the matter comes under the purview of Foreigners Division the above application is hereby transferred for needful action.

  
(Rais Ahmad)  
Director (BM-I)/CPIO  
12/7/13 ZAB

Re-examine quickly.  
12.7.13

Encl: as above

- ✓ 1. JS(Foreigners), NDCC-II Building, MHA, New Delhi.
- 2. Smt. Sulekha, DS& CPIO, MHA, North Block, New Delhi, for information and record w.r.t K-II Desk O.M.No.13030/3/2013-K.II dated 05.06.13.  
MHA U.O.No.11017/5/2013-BM-III dt.3.7.2013

Con(F)  
R2  
15/7

Copy to :

Chaudhry Rohan Singh, Near Consumer Forum, Civil Court Agra, Uttar Pradesh 282002.

US/15

Vishu  
17/7

F/

322/USCFJ/13  
17/07

1043/F/13  
18/7

322/USCFJ/13  
18/7/2013  
S.P.

1238/13/BM-II  
19/6

F.No.13050/3/2013-K.II  
Government of India  
Ministry of Home Affairs  
K-II Desk

18  
20

Room No. 92 B  
North Block, New Delhi.  
Dated: 5 June, 2013.

Shri Rais Ahmed,  
Director (BM-I),  
NDCC-II Bldg.,  
Jai Singh Road,  
New Delhi

**OFFICE MEMORANDUM**

**Sub: Application of Chaudhry Rohan Singh under Right to Information Act, 2005 – transfer thereof.**

Please find enclosed an RTI application dated 30.3.2013 (received by the undersigned on 31.5.2013) on transfer from Shri Bhopal Singh, Director (K-II) vide their letter No.13012/18/2013-K.VI seeking information on point Nos. 3 and 4. Since the subject matter is not concerned to K.II Desk, the same is being transferred to BM Division for directly providing information to the applicant.

2. It is requested that necessary action may be taken on the aforesaid application under RTI. However, in case it does not fall under your jurisdiction it may please be further transferred to the CPIO/Public Authority to which the subject matter is more closely connected, directly under intimation to the applicant.

Yours faithfully,

Encls: As above.

1238/13/BM-II  
19/6  
Reply

ISSUED  
P. B. No. 8113  
6/6/13

1238/13/BM-II  
31/05/2013  
19/6/13

(Mrs. Sulekha)  
Deputy Secretary & CPIO  
Tele.No. 23092696

Copy for information to

19/6/13

1. Shri Bhopal Singh, Director (K.II), MHA, New Delhi w.r.t. their letter No.13012/18//2013-K.VI Dated 30.5.2013.

2. Chaudhry Rohan Singh, Near Consumer Forum, Civil Court Agra, Uttar Pradesh-282002.

By Post  
19/6/13  
5/0  
19/6/13

OK

87/780/13

MINISTRY OF HOME AFFAIRS  
RTI-W/11/13

133  
15

F.No.13012/18/2013-K-VI  
Government of India  
Ministry of Home Affairs  
Deptt. Of J&K Affairs  
K-VI Desk

\*\*\*\*

Room No. 93-A, North Block,  
New Delhi, the 30<sup>th</sup> May, 2013

To,

Smt. Sulekha,  
Deputy Secretary(K-II)  
M/o Home Affairs,  
North Block.

**Subject: Application under Right to Information Act, 2005.**


Please refer to RTI application dated 29.05.2013 (received by the undersigned on 30.05.2013) on transfer from Shri P.V. Sivaraman, Director (Foreigners) and CPIO, Ministry of Home Affairs vide their OM No. U.O. RTI/67/2013-F-I dated 29.05.2013 seeking information under RTI Act, 2005 is not pertained to this Desk (K-IV/K-VI).

2. Since the subject matter related to security, may please arrange a reply if any directly to the applicant within prescribed time limit.

USCA/11  
31/5

31/5/13 K. Pat et.

so (K-III)

  
(Bhopal Singh)  
Director (K-II)

Encl: As above.

Copy to:-

1. Shri P.V. Sivaraman, Director (Foreigners) and CPIO, NDCC Bldg, Jai Singh Road, New Delhi.
2. Chaudhray Rohan Singh, Near Consumer Forum, Civil Court, Agra, Uttar Pradesh-282002.

24/05/13  
31/5

K-III Desk  
Subject matter pertaining to point 3 and 4 of the RTI application does not pertain to K-III Desk. Do not send to BM Division. WIP  
31/5

Government of India  
Ministry of Home Affairs  
(Foreigners Division)

(132)  
18


Subject: Information sought under the RTI Act, 2005.

Please find enclosed an RTI application dated 30-03-2013 (received by the undersigned on 24.05.2013 on transfer from Shri Sanjay Mitra, Under Secretary(RTI), Ministry of Home Affairs vide their OM No. A-43020/01/2013/RTI- dated 21.05.2013), seeking information under the RTI Act, 2005.

2. The information sought by the applicant in point nos. 3 and 4 of the RTI application is not maintained in the Ministry of Home Affairs (Foreigners Division).

3. Since the subject matter pertaining to point nos. 3 and 4 of the RTI application is closely linked to the functioning of Kashmir Division, MHA, point nos. 3 and 4 of the RTI application is transferred to Kashmir Division of MHA, under Section 6 (3) (ii) of the RTI Act, 2005, with a request to furnish the requisite information directly to the applicant within the prescribed time limit.

Encls: As above.


  
(P. V. Sivaraman)  
Director (Foreigners) and CPIO

Sh. Bhopal Singh, Director(K-II), MHA, North Block, New Delhi  
MHA U.O.RTI/67/2013-F-1 Dated : 29.05.2013

Copy to:-

1. Chaudhary Rohan Singh, Near Consumer Forum, Civil Court, Agra, Uttar Pradesh-282002

2. Sh. Sanjay Mitra, Under Secretary (RTI), North Block, Ministry of Home Affairs, , New Delhi....for information.

  
(P. V. Sivaraman)  
Director (Foreigners) and CPIO

सं. ए-43620/01/2013-आर वी जस

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

\*\*\*\*\*

नई दिल्ली, दिनांक: 26 मई, 2013

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत श्री/श्रीमती/सुश्री चौधरी शैल सिंह का आवेदन।

\*\*\*\*\*

अधोहस्ताक्षरी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मुहैया कराने के संबंध में श्री/श्रीमती/सुश्री चौधरी शैल सिंह के दिनांक 30/3/2013 के आवेदन (इस मंत्रालय में गृह मंत्रालय से अंतरण द्वारा दिनांक 17/5/2013 को प्राप्त) को विदेशी प्रधान को अद्योषित करने का निदेश हुआ है, क्योंकि मांगी गई सूचना उक्त प्रधान के क्रियाकलापों से संबंधित है/निकट रूप से संबंध रखती है। यह अनुरोध किया जाता है कि यदि विषय-वस्तु का संबंध किसी अन्य केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से है, तो आवेदक को सूचित करते हुए आवेदन को सीधे उस प्राधिकारी को अद्योषित/अंतरित कर दिया जाये।

2. आवेदक ने 10/- रु. का निर्धारित शुल्क प्रधान मंत्री कार्यालय में प्राप्त दिनांक 20/3/2013 को रसीद से डुबई के तहत जमा कर चिकाई नहीं किया है क्योंकि यह वी.पी.ए. श्रेणी से संबंध रखता/रखती है।

संलग्नक : यथोपरि

संजय मित्रा  
(संजय मित्रा)

अवर सचिव, भारत सरकार

11/7/13  
21/5/13  
सेवा में :


निदेशक (एफ)  
गृह मंत्रालय, एन डी सी सी - II भवन  
जय सिंह रोड, नई दिल्ली

प्रति सूचनार्थ प्रेषित :  
श्री/श्रीमती/सुश्री चौधरी शैल सिंह  
कान्जूर जोरम के पास  
शिविल कोर्ट, आगरा

उत्तर प्रदेश - 282002  
(उनसे अनुरोध है कि इस मामले में अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने के लिए उपरोक्त केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से संपर्क करें।)

उपस्थित - RJA  
MR  
24/5  
24/5/2013  
SDP

Tel: 011-2301950  
ASCOR: 35676



RTI Cell, 7/56 BMT (AE)  
S-3, D-1 Wing  
Sena Bhawan, Gate No-4  
HQ of MoD (Army)  
New Delhi - 110011

(12)

A/810027/RTI/12756 (Tf)

14 May 2013

JS (RTI)/CPIO  
Ministry of External Affairs  
(RTI Division)  
802-Akbar Bhawan, Chanakyapuri  
New Delhi - 110 021


By Secretary & CPIO  
Ministry of Home Affairs  
North Block  
New Delhi - 110 001

**RIGHT TO INFORMATION ACT - 2005**  
**ACTION REQUIRED : INTRUSION BY FOREIGN CITIZEN**  
**SHRI CHAUDHARY ROHAN SINGH, ADVOCATE**

1. Please find enclosed copy of an application dated 30 Mar 13, preferred by above named applicant, seeking information under RTI Act 2005.
2. Since the subject of information sought by the applicant pertains to/is more closely related to the functions of your office/offices under your jurisdiction, the application, is therefore, being transferred to your office under the provisions of Section 6 (3) of Right to Information Act 2005. You are requested to provide information w.r.t ibid RTI application, directly to the applicant.
3. The requisite application fee has been received by the MoD.
4. While forwarding info/denial of info to the applicant, address of the First Appellate Authority must be specified/mentioned so that applicant is able to prefer an appeal, if he/she wishes to do so.
5. In case the subject matter does not pertain to your office, please transfer the same to appropriate office.

D.H.F.

*Signature*  
2013



*Signature*


(Prashant Saxena)  
Maj  
GSO-1 (RTI)  
for CPIO of Indian Army

Enclosures : As above.

Copy to :-

Shri Chaudhary Rohan Singh  
Advocate  
Near Consumer Forum  
Civil Court, Agra-282 002  
(UP)

Your ibid RTI application is being transferred to above CPIOs under Section 6 (3) of Right to Information Act 05. You are therefore, requested to correspond with them directly with respect to of your ibid RTI application.



सूचना का अधिकार

सं. 24 / आर.टी.आई. / 04 / 13-14

राष्ट्रपति सचिवालय

PRESIDENT'S SECRETARIAT

आर. टी. आई. अनुभाग

राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली-110004.

Rashtrapati Bhavan, New Delhi-110004.

04 अप्रैल 2013

सेवा में,

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

विदेश मंत्रालय  
साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

रक्षा मंत्रालय, साउथ ब्लॉक  
नई दिल्ली।

महोदय,

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत श्री चौधरी रोहन सिंह का दिनांक 30.03.13 का आवेदन पत्र दिनांक 02.04.13 को प्राप्त हुआ है। वांछित सूचना आपके द्वारा धारित/आपके कृत्यों से निकट रूप से संबंधित होने के कारण उक्त आवेदन पत्र आपके कार्यालय को सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत हस्तांतरित किया जा रहा है।

2. आवेदक ने इसके लिए शुल्क के रूप में ₹ 10/- (रुपये दस मात्र) का भुगतान इस सचिवालय में कर दिया है।

भवदीय

(सौरभ विजय)

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

श्री चौधरी रोहन सिंह, कब्जूर फोरम के पास, सिविल कोर्ट बाग़रा  
उत्तर प्रदेस-282002.

वांछित सूचना इस सचिवालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आती है। अतः आपका पत्र संबंधित कार्यालय को हस्तांतरित किया जा रहा है। भविष्य में इससे संबंधित जानकारी के लिए उपरोक्त अधिकारी से संपर्क करें।

रक्षा मंत्रालय (सूचना)  
Ministry of Defence (Sect.)  
रक्षा (सूचना का अधिकार) अनुभाग  
Defence (Right to Information) Section  
दस्तावेज नं०.....538.....  
दिनांक.....14/04/13.....

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 धारा- 6 के अन्तर्गत आवेदन पत्र का प्रावधान

12/8

Dy. No. 211/2013

Date: 30/03/2013

Signature: [Signature]

सेवा में

श्रीमान जन सूचना अधिकारी / प्रभारी महोदय

राष्ट्रपति कार्यालय, राष्ट्रपति भवन, रायसोना विहार्, भारत सरकार, नई दिल्ली -

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आवेदन पत्र ।

महामाहिम जी,

सीवनय निवेदन है कि दिनांक 1 फरवरी 2013 के अमर उजाला समाचार पत्र में प्रकाशित खबर " कारीगल से पहले मुशर्रफ ने पार की थी स्ल.ओ.सी." यह खबर पाकिस्तान की छुपी सजेसी के जन सम्पर्क विभाग आई.एस.पी.आर. में डिप्टी डायरेक्टर रह चुके सेवानिवृत्त कर्नल अशाफक हुसैन की किताब " कारीगल स्टोरी अनफोल्डस " के हवाले कर प्रकाशित हुई जिसमें पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल जवाव परवेशा मुशर्रफ द्वारा स्ल.ओ.सी. पार कर 11 किमी अन्दर घुसकर भारतीय सेना को चौकी पर अवैध कब्जा जमाये पाक सैनिकों के साथ रात गुजारना एवं फिर सुरक्षित वापस लौटने का जिक्र है।

आवेदक आपसे निम्न बिन्दुवार सूचनायें उपरोक्त विषय में प्राप्त करना चाहता है:-

- 1- यह कि यदि कोई विदेशी नागरिक अवैधानिक तरीके से भारतीय सीमा में प्रवेश करता है तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का प्रावधान है।
- 2- यह कि यदि कोई विदेशी शासक / राष्ट्राध्यक्ष जानबूझकर भारतीय सीमा में गैर कानूनी ढंग से प्रवेश करता है तो अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का प्रावधान है।
- 3- यह कि क्या पुर्वेशा मुशर्रफ ने स्ल.ओ.सी.को अवैधानिक तरीके से पार कर भारतीय कानून का उल्लंघन किया है। यदि हाँ तो क्या मुशर्रफ के विरुद्ध भारत सरकार द्वारा कोई शिकायत या प्राथमिकी राष्ट्रीय अज्ञा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर दर्ज करायी गयी है। स्पष्ट करें।
- 4- यह कि क्या मुशर्रफ के विरुद्ध उक्त कृत्य में सरकार द्वारा कोई कार्यवाही या जांच प्रस्तावित है। या को जा रहीं है स्पष्ट करें।

अतः महामाहिम जी सीवनय प्रार्थना है कि उपरोक्त बिन्दुओं पर मांगी गई सूचनायें जो प्रमाणित प्रति हिन्दी भाषा में अधिनियम में दिये गये निश्चित समय सीमा के अन्दर आवेदक / अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने की कृपा करें। श्रीमानजी की अति कृपा होगी।

दिनांक :- 30- 3- 2013

आवेदक /अधोहस्ताक्षरी

चोधरी रोहन सिंह सहवाणे, 30/03/13

बन्सुर पोरम के पार, तितीवा कोर्ट, आगरा-उ.प्र. पिन कोड- 202001

संलग्नक

मौ. नं. 0 9411961952

Rauhan Singh

(LL.M.) Advocate

Civil Court, AGRA

B.S. 11103 2003 U.P.

1- 10/-रुपये का भारतीय मूद्र पोस्टल आर्डर

संख्या- 17 रफ.702289 मूल रूप से संलग्न है


दिनांकित- 25-3-2013





5/6/13

आर0टी0आई मामला/स्पीड पोस्ट द्वारा



आर0टी0आई/67/2013/एफ0-1

भारत सरकार  
गृह मंत्रालय  
विदेशी प्रभाग

एन0डी0सी0सी0-11 भवन, जय सिंह रोड,  
नई दिल्ली, दिनांक, 21 जून, 2013

सेवा में,

श्री चौधरी रोहन सिंह,  
कन्ज्यूमर फॉर्म के नजदीक,  
सिविल न्यायालय,  
आगरा-282002  
उत्तर प्रदेश

JUN 2013

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मांगी गई सूचना।

महोदय,

कृपया अपने दिनांक 30.03.2013 के आवेदन का संदर्भ लें, जिसमें सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना मांगी गई है (जो अधोहस्ताक्षरी को श्री संजय मित्रा, अवर सचिव, गृह मंत्रालय से उनके दिनांक 21.05.2013 के का0ज्ञा0 सं0 ए-43020/01/2013-आर0टी0आई0 से हस्तांतरण पर 24.05.2013 को प्राप्त हुआ)

2. आपके आर0टी0आई0 आवेदन के बिन्दु सं0 1 से मांगी गई सूचना के बारे में यह बताया जाता है कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस प्राधिकारी और अन्य विधि प्रवर्तन संबंधी एजेंसियां अवैध आप्रवासन संबंधी मामलों से अवगत हैं तथा वे ऐसे विदेशी राष्ट्रिकों के क्रिया-कलापों पर कड़ी नजर रखती हैं। विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 3(2)(ग) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के पास किसी विदेशी राष्ट्रिक के निर्वासन की शक्तियां निहित हैं। अवैध रूप से रह रहे राष्ट्रिकों की पहचान करने और उनके निर्वासन की ये शक्तियां राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को भी प्रत्यायोजित की गई हैं। ऐसे अवैध अप्रवासियों का पता लगाना और उनका निर्वासन एक सतत् चलने वाली प्रक्रिया है। सरकार ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों के ध्यान में निम्नलिखित विधिक प्रावधान लाने के लिए 05 नवम्बर, 2012 को अनुदेश भी जारी किए हैं:-

(i) पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 की धारा 4 के अनुसार पुलिस प्राधिकारी भारत में अवैध रूप से रह रहे विदेशी राष्ट्रिक को गिरफ्तार करने की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं।


(ii) यदि कोई भी विदेशी राष्ट्रिक भारत के किसी क्षेत्र में रहने के लिए उसको जारी किए गए वीजा की अवधि से अधिक अवधि तक रहता है तो उसके खिलाफ विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 14 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है।

(iii) यदि कोई भी विदेशी राष्ट्रिक भारत में प्रवेश अथवा रहने के लिए अपेक्षित वैध दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश करता है अथवा रहता है, जैसा भी मामला हो, तो विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 14क(ख) के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है।

3. आर0टी0आई0 आवेदन के बिन्दु सं0 2 में मांगी गई सूचना के लिए आवेदन इस मंत्रालय के दिनांक 29.05.2013 के समसंख्यक पत्र के तहत विदेश मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया गया है। इसकी सूचना आपको भेज दी गई है। आर0टी0 आई0 आवेदन के बिन्दु सं0 3 और 4 के लिए आपको आवेदन इस मंत्रालय के दिनांक 29.05.2013 के समसंख्यक पत्र के तहत निदेशक (के-11), गृह मंत्रालय को हस्तांतरित किया गया है। इसकी एक प्रति आपको पृष्ठांकित की गई है।

4. यदि आप ऊपर प्रस्तुत की गई जानकारी से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप निर्धारित समायावधि के भीतर श्री वी0 वुमलुंगमांग, संयुक्त सचिव (विदेशी) एवम् अपीलीय प्राधिकारी, गृह मंत्रालय, विदेशी प्रभाग, एन0डी0सी0सी0-11 बिल्डिंग, जय सिंह रोड, नई दिल्ली के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं।

भवदीय,

  
(विकास श्रीवास्तव)

अवर सचिव (विदेशी) एवं सी0पी0आई0ओ0

आर0टी0आई मागला/रपीड पोस्ट द्वारा

आर0टी0आई/67/2013/एफ0-1

भारत सरकार  
गृह मंत्रालय  
विदेशी प्रभाग

एन0डी0सी0सी0-11 भवन, जय सिंह रोड,  
नई दिल्ली, दिनांक, 21 जून, 2013

सेवा में,

श्री चौधरी रोहन सिंह,  
कन्ज्यूमर फॉर्म के नजदीक,  
सिविल न्यायालय,  
आगरा-282002  
उत्तर प्रदेश

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मांगी गई सूचना।

महोदय,

कृपया अपने दिनांक 30.03.2013 के आवेदन का संदर्भ लें, जिसमें सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना मांगी गई है (जो अधोहस्ताक्षरी को श्री संजय मित्रा, अवर सचिव, गृह मंत्रालय से उनके दिनांक 21.05.2013 के का0जा0 सं0 ए-43020/01/2013-आर0टी0आई0 से हस्तांतरण पर 24.05.2013 को प्राप्त हुआ)

2. आपके आर0टी0आई0 आवेदन के बिन्दु सं0 1 से मांगी गई सूचना के बारे में यह बताया जाता है कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस प्राधिकारी और अन्य विधि प्रवर्तन संबंधी एजेंसियां अवैध आप्रवासन संबंधी मामलों से अवगत हैं तथा वे ऐसे विदेशी राष्ट्रिकों के क्रिया-कलापों पर कड़ी नजर रखती हैं। विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 3(2)(ग) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के पास किसी विदेशी राष्ट्रिक के निर्वासन की शक्तियां निहित हैं। अवैध रूप से रह रहे राष्ट्रिकों की पहचान करने और उनके निर्वासन की ये शक्तियां राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को भी प्रत्यायोजित की गई हैं। ऐसे अवैध अप्रवासियों का पता लगाना और उनका निर्वासन एक सतत् चलने वाली प्रक्रिया है। सरकार ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों के ध्यान में निम्नलिखित विधिक प्रावधान लाने के लिए 05 नवम्बर, 2012 को अनुदेश भी जारी किए हैं:-

(i) पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 की धारा 4 के अनुसार पुलिस प्राधिकारी भारत में अवैध रूप से रह रहे विदेशी राष्ट्रिक को गिरफ्तार करने की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं।

(ii) यदि कोई भी विदेशी राष्ट्रिक भारत के किसी क्षेत्र में रहने के लिए उसको जारी किए गए वीजा की अवधि से अधिक अवधि तक रहता है तो उसके खिलाफ विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 14 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है।

(iii) यदि कोई भी विदेशी राष्ट्रिक भारत में प्रवेश अथवा रहने के लिए अपेक्षित वैध दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश करता है अथवा रहता है, जैसा भी मामला हो, तो विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 14क(ख) के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है।

3. आर0टी0आई0 आवेदन के बिन्दु सं0 2 में मांगी गई सूचना के लिए आवेदन इस मंत्रालय के दिनांक 29.05.2013 के समसंख्यक पत्र के तहत विदेश मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया गया है। इसकी सूचना आपको भेज दी गई है। आर0टी0 आई0 आवेदन के बिन्दु सं0 3 और 4 के लिए आपका आवेदन इस मंत्रालय के दिनांक 29.05.2013 के समसंख्यक पत्र के तहत निदेशक (के-11), गृह मंत्रालय को हस्तांतरित किया गया है। इसकी एक प्रति आपको पृष्ठांकित की गई है।

4. यदि आप ऊपर प्रस्तुत की गई जानकारी से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप निर्धारित समायावधि के भीतर श्री वी0 वुमलुंगमांग, संयुक्त सचिव (विदेशी) एवम् अपीलीय प्राधिकारी, गृह मंत्रालय, विदेशी प्रभाग, एन0डी0सी0सी0-11 बिल्डिंग, जय सिंह रोड, नई दिल्ली के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं।

भवदीय,

विकास श्रीवास्तव  
(विकास श्रीवास्तव)

अवर सचिव (विदेशी) एवं सी0पी0आई0ओ0



KIL MATTER / BY SPEED POST

RTI/07/2013-F-I  
Government of India  
Ministry of Home Affairs

NDCC-II Building, Jai Singh Road,  
New Delhi, dated, 21<sup>st</sup> June, 2013

To

✓ Sh. Chaudhary Rohan Singh,  
Near Consumer Fouram,  
Civil Court,  
Agra-282002,  
Uttar Pradesh

Subject: Information sought under the RTI Act, 2005

Sir,


Please refer to your application dated 30.03.2013 (received by the undersigned on 24.05.2013 on transfer from Sh. Sanjay Mitra, Under Secretary, Ministry of Home Affairs vide their OM No.A-43020/01/2013-RTI dated 21.05.2013) seeking information under the RTI Act, 2005.

2. With regard to information sought by you in point no. 1 of your RTI application, it may be stated that the Police authorities in the States/Union Territories and other law enforcement agencies are aware of the issues of illegal immigration and they maintain a strict vigil on the activities of such foreign nationals. Central Government is vested with powers to deport a foreign national under section 3(2)(c) of the Foreigners Act, 1946. These powers to identify and deport illegally staying foreign nationals have also been delegated to the State Governments/Union Territory Administrations. Detection and deportation of such illegal immigrants is a continuous process. Government has also issued instructions to the State Governments / Union Territory Administrations on 5<sup>th</sup> November, 2012 bringing to their notice the following legal provisions :-

- (i) Police authorities can exercise the power to arrest a foreign national living illegally in India in terms of section 4 of the Passport (Entry into India) Act, 1920.
- (ii) Any foreign national who remains in any area in India for a period exceeding the period for which the visa was issued to him can be proceeded against under section 14 of the Foreigners Act, 1946.
- (iii) A foreigner who enters into or stays in any area in India without the valid documents required for such entry or for such stay, as the case may be, can be proceeded against under section 14A(b) of the Foreigners Act, 1946.

3. The information sought in point no 2 of the RTI application has been transferred to Ministry of External Affairs vide this Ministry's letter of even number dated 29.05.2013 under intimation to you. The information sought by you in your RTI application on point nos 3 & 4 has since been transferred to Director(K-II), Ministry of Home Affairs vide this Ministry's letter of even number dated 29.05.2013 with copy endorsed to you, with a request to furnish the requisite information directly to you.

4. If you are not satisfied with the information furnished, you may file an appeal to Shri V. M. Munimang, Joint Secretary (Foreigners) & Appellate Authority, Ministry of Home Affairs, Foreigners Division, NDCC-II Building, Jai Singh Road, New Delhi within the prescribed time limit.



o/c

Yours faithfully,  
*Vikas Srivastava*  
(Vikas Srivastava)  
Under Secretary (Foreigners) & CPIO

MOST URGENT / BY SPEED POST

RTI/67/2013 F-I  
Government of India  
Ministry of Home Affairs

NDCC-II Building, Jai Singh Road,  
New Delhi, dated 29<sup>th</sup> May, 2013

30 MAY 2013

To

X Sh. Debraj Pradhan,  
Joint Secretary(RTI)&CPIO,  
Ministry of External Affairs, 'A' Wing,  
Jawahar Lal Nehru Bhavan,  
23 D Janpath, New Delhi-11

Subject: Information sought under the RTI Act, 2005.


Sir,

Please find enclosed an RTI application dated 30-03-2013 (received by the undersigned on 24.05.2013 on transfer from Shri Sanjay Mitra, Under Secretary(RTI), Ministry of Home Affairs vide their OM No. A-43020/01/2013/RTI- dated 21.05.2013), seeking information under the RTI Act, 2005.


2. The information sought by the applicant in point no. 2 of the RTI application is not maintained in the Ministry of Home Affairs (Foreigners Division).

3. Since the subject matter pertaining to the RTI application is closely linked to the functioning of Ministry of External Affairs, the RTI application is transferred to the Ministry of External Affairs, under Section 6 (3) (ii) of the RTI Act, 2005, with a request to furnish the requisite information on the above said points directly to the applicant within the prescribed time limit.

Encls: As above.



Yours faithfully,

  
(P. V. Sivaraman)

Director (Foreigners) and CPIO

Copy to:-

1. Chaudhary Rohan Singh, Near Consumer Forum, Civil Court. Agra, Uttar Pradesh-282002

2. Shri Sanjay Mitra, Under Secretary(RTI), Ministry of Home Affairs, North Block, New Delhi....for information.

  
(P. V. Sivaraman)

Director (Foreigners) and CPIO



1/01/12FJ  
30/5/13

MOST URGENT / BY SPEED POST

Government of India  
Ministry of Home Affairs  
(Foreigners Division)


Subject: Information sought under the RTI Act, 2005.

Please find enclosed an RTI application dated 30-03-2013 (received by the undersigned on 24.05.2013 on transfer from Shri Sanjay Mitra, Under Secretary(RTI), Ministry of Home Affairs vide their OM No. A-43020/01/2013/RTI- dated 21.05.2013), seeking information under the RTI Act, 2005.

2. The information sought by the applicant in point nos. 3 and 4 of the RTI application is not maintained in the Ministry of Home Affairs (Foreigners Division).

3. Since the subject matter pertaining to point nos. 3 and 4 of the RTI application is closely linked to the functioning of Kashmir Division, MHA, point nos. 3 and 4 of the RTI application is transferred to Kashmir Division of MHA, under Section 6 (3) (ii) of the RTI Act, 2005, with a request to furnish the requisite information directly to the applicant within the prescribed time limit.

Encls: As above.

  
(P. V. Sivaraman)

Director (Foreigners) and CPIO

Sh. Bhopal Singh, Director(K-II), MHA, North Block, New Delhi  
MHA U.O.RTI/67/2013-F-1 Dated : 29.05.2013

Copy to:-

✓ 1. Chaudhary Rohan Singh, Near Consumer Forum, Civil Court, Agra, Uttar Pradesh-282002

✓ 2. Sh. Sanjay Mitra, Under Secretary (RTI), North Block, Ministry of Home Affairs, New Delhi....for information.

11/011-12F1  
30/5/13

  
(P. V. Sivaraman)

Director (Foreigners) and CPIO

9/10



10/2013/13  
R-4/90/Pris(P)/13  
24/5

श्री. ज. प्र. मंत्रालय  
नई दिल्ली

नई दिल्ली दिनांक : 20 मई, 2013

कार्यालय सचिव

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत श्री/श्रीमती/सुश्री चौधरी रोहन सिंह का आवेदन।

\*\*\*\*\*

अधोहस्ताक्षरी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मुहैया कराने के संबंध में श्री/श्रीमती/सुश्री चौधरी रोहन सिंह के दिनांक 30/3/2013 के आवेदन (इस मंत्रालय में श्री मंत्रालय से अंतरण द्वारा दिनांक 17/5/2013 को प्राप्त) को विदेश प्रभाग को अग्रपिप्त करने का निर्देश हुआ है, क्योंकि मानी गई सूचना उक्त प्रभाग के क्रियाकलापों से संबंधित है/निकट रूप से संबंध रखती है। यह अनुरोध किया जाता है कि यदि विषय-वस्तु का संबंध किसी अन्य केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से है, तो आवेदक को सूचित करते हुए आवेदन को सीधे उस प्राधिकारी को अग्रपिप्त/अंतरित कर दिया जाये।

2. आवेदक ने 10/- रु. का निर्धारित शुल्क दिनांक 24/5/2013 को रसीद के तहत जमा कर दिया है (संलग्न) वहीं किया है क्योंकि वह दो से एक श्रेणी से संबंध रखता/रखती है।

प्रधान मंत्री कार्यालय में प्राप्त हुआ 24/5

संलग्नक : यथोपरि

राजय मित्रा  
(राजय मित्रा)  
अवर सचिव, भारत सरकार

24/5/13  
27/5/13

निदेशक (रूप)  
श्री मंत्रालय, एम.डी. सी. सी. - II भवन  
अद्यक्षी रोड, नई दिल्ली

Urgent - RTI

प्रति सूचनार्थ प्रेषित :  
श्री/श्रीमती/सुश्री चौधरी रोहन सिंह  
कन्जूमर फोरम के पास  
सिविल कोर्ट, आगरा  
उत्तर प्रदेश - 282002

24/5

24/5/2013  
24/5

(ऊपर अनुरोध है कि इस मामले में अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने के लिए उक्त अग्रपिप्त केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से संपर्क करें।)



सूचना  
का अधिकार

सां. 21 / आर.टी.आई. / 04 / 13-14

राष्ट्रपति सचिवालय

**PRESIDENT'S SECRETARIAT**

आर. टी. आई. अनुभाग

राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली-110004.

Rashtrapati Bhavan, New Delhi-110004.

04 अप्रैल 2013

सेवा में,

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी  
विदेश मंत्रालय  
साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।


केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी  
रक्षा मंत्रालय, साउथ ब्लॉक  
नई दिल्ली।

महोदय,

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत श्री चौधरी रोहन सिंह का दिनांक 20.03.13 का आवेदन पत्र दिनांक 02.04.13 को प्राप्त हुआ है। वांछित सूचना आपके द्वारा धारित/आपके कृत्यों से निकट रूप से संबंधित होने के कारण उक्त आवेदन पत्र आपके कार्यालय को सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत हस्तांतरित किया जा रहा है।

2. आवेदक ने इसके लिए शुल्क के रूप में ₹ 10/- (रुपये दस मात्र) का भुगतान इस सचिवालय में कर दिया है।

भवदीय

  
(सौरभ विजय)

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी


प्रतिलिपि सूचनार्थ:

श्री चौधरी रोहन सिंह, कब्जूमर फोरम के पास, सिविल कोर्ट मार्ग  
उत्तर प्रदेग-282002.

वांछित सूचना इस सचिवालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आती है। अतः आपका पत्र संबंधित कार्यालय को हस्तांतरित किया जा रहा है। भविष्य में इससे संबंधित जानकारी के लिए उपरोक्त अधिकारी से संपर्क करें।

रक्षा मंत्रालय (सूचना)  
Ministry of Defense (Sect.)  
रक्षा सूचना का अधिकार अनुभाग  
Defence (Right to Information) Section  
दफ्तरी नं०..... 538.....  
दिनांक..... 9/4/13.....  
.....

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी



तेजाने,

श्रीमान जन सूचना अधिकारी / प्रभारी महोदय

Date: 25/3/2013  
Signature: [Handwritten Signature]

राष्ट्रपीठ कार्यालय, राष्ट्रपीठ भवन, रायसीना हिल्स,  
भारत सरकार, नई दिल्ली -

विषय :- सूचना आ अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आवेदन पत्र ।

महामहिम जी,

सिवनय निवेदन है कि दिनांक 1 फरवरी 2013 के अमर उजला समाचार पत्र में प्रकाशित छाबर ; कारीगल से पहले मुशरफ ने पार की थी एल.ओ.सी. यह छाबर पाकिस्तान की हथियार एजेंसी के जन सम्पर्क विभाग आई.एस.पी.आर. में डिप्टी डायरेक्टर रह चुके सेवानिवृत्त कर्नल अशाफ़ हुसैन की किताब " कारीगल स्टोरी अनफोल्डस " के डबले कर प्रकाशित हुई जिसमें पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपीठ जनरल जवाव परवेशा मुशरफ़ द्वारा एल.ओ. सी. पार कर 11 किमी अन्दर घुसकर भारतीय सेना की चौकी पर अवैध कब्जा जमाये पाक सैनिकों के साथ रात गुजारना एवं फिर सुरक्षित वापस लौटने का जिक्र है।

आवेदक आपसे निम्न बिन्दुवार सूचनार्थे उपरोक्त विषय में प्राप्त करना चाहता है:-

- 1- यह कि यदि कोई विदेशी नागरिक अवैधानिक तरीके से भारतीय सीमा में प्रवेश करता है तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का प्रावधान है।
- 2- यह कि यदि कोई विदेशी शाक्त / राष्ट्राध्यक्ष जानबूझकर भारतीय सीमा में वैर कानूनी ढंग से प्रवेश करता है तो अन्तरराष्ट्रीय विधि के अनुसार उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का प्रावधान है।
- 3- यह कि क्या परवेशा मुशरफ़ ने एल.ओ.सी.को अवैधानिक तरीके से पार कर भारतीय कानून का उल्लंघन किया है। यदि हाँ तो क्या मुशरफ़ के विरुद्ध भारत सरकार द्वारा कोई विशाक्यत या प्राथमिकी राष्ट्रीय अथवा अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर दर्ज करायी गयी है। स्पष्ट करें।
- 4- यह कि क्या मुशरफ़ के विरुद्ध उक्त कृत्य में सरकार द्वारा कोई कार्यवाही का वाँच प्रस्तावित है। या नहीं कर रही है स्पष्ट करें।

अतः महामहिम जी सिवनय प्रार्थना है कि उपरोक्त बिन्दुओं पर मांगी गई सूचनार्थे को प्रमाणित प्रति हिन्दी भाषा में अधिनियम में दिखे गये निश्चित समय सीमा के अन्दर आवेदक / अधोदस्ताखरी को उपलब्ध कराने की कृपा करें। श्रीमानजी की अति कृपा होगी।

दिनांक :- 30-3-2013

आवेदक / अधोदस्ताखरी

चौधरी रोहन सिंह सहवादे,  
कानपुर फोरम के प्रात, सिविल कोर्ट, अमरा-त-प्र.  
सिविल कोड- 282002

संलग्नक

मो. नं. 0 9411961952

**Rauhan Singh**  
(LL.M.) Advocate  
Civil Court AGO.  
R.N. 11183 2003 U.S.

- 1- 10/-रुपये आभारतीय सूत्र पोस्टल ऑर्डर
- संख्या- 17 रप.702289 मूल रूप में संलग्न है
- दिनांक- 25-3-2013

2- 1 फरवरी 2013 के समाचार पत्र अमर उजला में प्रकाशित छाबर का उल्लेख प्रीति ।



RTI MATTER (BY SPEED POST)

RI/83/2013-FH  
Government of India  
Ministry of Home Affairs

NDCC-II Building, Jai Singh Road,  
New Delhi, dated 06<sup>th</sup> August, 2013

To

Sh. Chaudhary Rohan,  
Near Consumer Forum,  
Civil Court,  
Agra-282002  
Uttar Pradesh

- 7 AUG 2013

Subject: Information sought under the RTI Act, 2005

Sir,

Please refer to your application dated 30.03.2013, received by the undersigned on 17.07.2013 on transfer from Sh. Rais Ahmad, Director (BM-I)/ CPIO vide their U.O. No. 11017/5/2013-BM-III dated 03.07.2013, seeking information under the RTI Act, 2005.

2. In this connection, it may be stated that Foreigners Division, Ministry of Home Affairs has no information with regard to the issues raised in point nos. 3 and 4 of the RTI application.

Yours faithfully,

*Vikas Srivastava*


(Vikas Srivastava)

Under Secretary (Foreigners) & CPIO

Copy to : 1. Sh. Rais Ahmad, Director (BM-I), NDCC-II Building, Jai Singh Road, New Delhi  
2. Sh. Bhopal Singh, Director (K.II), MHA, North Block, New Delhi

5/012FI  
7/8/13

o/e



RTI/67/2013-F-1  
Government of India  
Ministry of Home Affairs

NDCC-II Building, Jai Singh Road,  
New Delhi, dated, 21<sup>st</sup> June, 2013

To

Sh. Chaudhary Rohan Singh,  
Near Consumer Fouram,  
Civil Court,  
Agra-282002,  
Uttar Pradesh

Subject: Information sought under the RTI Act, 2005

Sir,


Please refer to your application dated 30.03.2013 (received by the undersigned on 24.05.2013 on transfer from Sh. Sanjay Mitra, Under Secretary, Ministry of Home Affairs vide their OM No.A-43020/01/2013-RTI dated 21.05.2013) seeking information under the RTI Act, 2005.

2. With regard to information sought by you in point no. 1 of your RTI application, it may be stated that the Police authorities in the States/Union Territories and other law enforcement agencies are aware of the issues of illegal immigration and they maintain a strict vigil on the activities of such foreign nationals. Central Government is vested with powers to deport a foreign national under section 3(2)(c) of the Foreigners Act, 1946. These powers to identify and deport illegally staying foreign nationals have also been delegated to the State Governments/Union Territory Administrations. Detection and deportation of such illegal immigrants is a continuous process. Government has also issued instructions to the State Governments / Union Territory Administrations on 5<sup>th</sup> November, 2012 bringing to their notice the following legal provisions :-

- (i) Police authorities can exercise the power to arrest a foreign national living illegally in India in terms of section 4 of the Passport (Entry into India) Act, 1920.
- (ii) Any foreign national who remains in any area in India for a period exceeding the period for which the visa was issued to him can be proceeded against under section 14 of the Foreigners Act, 1946.
- (iii) A foreigner who enters into or stays in any area in India without the valid documents required for such entry or for such stay, as the case may be, can be proceeded against under section 14A(b) of the Foreigners Act, 1946.

3. The information sought in point no 2 of the RTI application has been transferred to Ministry of External Affairs vide this Ministry's letter of even number dated 29.05.2013 under intimation to you. The information sought by you in your RTI application on point nos 3 & 4 has since been transferred to Director(K-II), Ministry of Home Affairs vide this Ministry's letter of even number dated 29.05.2013 with copy endorsed to you, with a request to furnish the requisite information directly to you.

4. If you are not satisfied with the information furnished, you may file an appeal to Shri V. Vumlunmang, Joint Secretary (Foreigners) & Appellate Authority, Ministry of Home Affairs, Foreigners Division, NDCC-II Building, Jai Singh Road, New Delhi within the prescribed time limit.

Yours faithfully,  
  
(Vikas Srivastava)

Under Secretary (Foreigners) & CPIO